

कार्यालय / न्यायालय—जिला एवं सत्र न्यायाधीश, उज्जैन(म0प्र0)  
// परिपत्र / आदेश //

क्रमांक—क्यू/2020

उज्जैन, दिनांक—14.05.2020


प्रति,

विशेष न्यायाधीश,  
समस्त अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,  
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,  
न्यायिक दण्डाधिकारी एवं प्रशिक्षु न्यायाधीश,  
अध्यक्ष, मण्डल अभिभाषक संघ  
एवं सभी कर्मचारी स्टाफ,  
उज्जैन/तराना/महिदपुर/बड़नगर/नागदा/खाचरौद

माननीय मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के आदेशानुसार इस कार्यालय/न्यायालय के परिपत्र/आदेश क्रमांक—क्यू/2020 उज्जैन, दिनांक—14.05.2020 के अनुसार केवल अत्यावश्यक प्रकृति के मामलों (प्रतिभूति आवेदन—पत्र) की सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिला न्यायालय/तहसील न्यायालय में की जा रही है।

अभी तक अत्यावश्यक प्रकृति के मामलों में अग्रिम जमानत के मामले, रथाई गिरफ्तारी वारंट या अनुपस्थिति के कारण जारी गिरफ्तारी वारंट के मामले तथा लंबित दाण्डिक प्रकरणों में जिनमें अभिरक्षा की अवधि 07—दिन से अधिक हो चुकी है या द्वितीय प्रतिभूति आवेदन पत्र, सुपुर्दगीनामा आवेदन पत्र को अत्यावश्यक प्रकृति के मामले नहीं माने गये हैं और केवल प्रतिभूति आवेदन—पत्र और समरी मामलो को ही अत्यावश्यक प्रकृति का माना गया है। किंतु अब लॉकडाउन को डेढ़ माह से अधिक समय हो गया है। उक्त प्रकृति के मामलों को अत्यावश्यक प्रकृति के मामले नहीं माने जाने से और सुनवाई नहीं किये जाने से पक्षकारों/अधिवक्ताओं को काफी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है।

अतः उपरोक्त परिस्थितियों में आदेशित किया जाता है कि उपरोक्त समस्त प्रकार के मामलों जिसमें अग्रिम जमानत के आवेदन—पत्र, ऐसे मामले जिसमें रथाई गिरफ्तारी वारंट या अनुपस्थिति के कारण गिरफ्तारी वारंट जारी हुआ है, जिसके पालन में अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है, के प्रतिभूति—आवेदन पत्र, लंबित दाण्डिक प्रकरणों में जिसमें अभिरक्षा की अवधि 07—दिन से अधिक हो चुकी है या द्वितीय प्रतिभूति आवेदन, सुपुर्दगीनामा आवेदन पत्र और समरी मामले आदि को जिला न्यायालय/तहसील न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश द्वारा अत्यावश्यक प्रकृति का माना जाकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई की जावेगी।


  
(श्यामकांत कुलकर्णी) 14/5/2020  
जिला एवं सत्र न्यायाधीश,  
उज्जैन (म.प्र.)

पृष्ठां० क्रमांक-क्यू-1/2020

उज्जैन, दिनांक-14.05.2020

प्रतिलिपि-

- 1 श्रीमान जिला दण्डाधिकारी महोदय, जिला उज्जैन
- 2 पुलिस अधीक्षक महोदय, जिला उज्जैन
- 3 कोर्ट मैनेजर, जिला न्यायालय, उज्जैन
- 4 प्रशासनिक अधिकारी, जिला न्यायालय, उज्जैन
- 5 सिस्टम ऑफिसर, जिला न्यायालय, उज्जैन  
की ओर सूचनार्थ प्रेषित।



14/5/2020

(श्यामकांत कुलकर्णी)  
जिला एवं सत्र न्यायाधीश,  
उज्जैन (म.प्र.)